

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

प्रेषक,

सुशील कुमार,  
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ...16/7/2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में समाज कल्याण विभाग के प्रक्षेत्राधीन सिवान जिला अन्तर्गत संचालित पर्यवेक्षण गृह, सिवान के भवन के मरम्मत एवं रंग-रोगन कार्य के लिए भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि रु० 20,89,400/- (बीस लाख नवासी हजार चार सौ) मात्र के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक-14 दिनांक- 06.01.2024 के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के प्रक्षेत्राधीन सिवान जिला अन्तर्गत संचालित पर्यवेक्षण गृह, सिवान के भवन के मरम्मत एवं रंग-रोगन कार्य के लिए अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, छपरा के द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि रु० 20,89,400/- (बीस लाख नवासी हजार चार सौ) मात्र को उपलब्ध कराते हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के आलोक में प्राप्त प्राक्कलन के समीक्षोपरांत वित्तीय वर्ष 2026-27 अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग के प्रक्षेत्राधीन सिवान जिला अन्तर्गत संचालित पर्यवेक्षण गृह, सिवान के भवन के मरम्मत एवं रंग-रोगन कार्य के लिए प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन रु० 20,89,400/- (बीस लाख नवासी हजार चार सौ) मात्र पर प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. स्वीकृत राशि चालू वित्तीय वर्ष अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2059- लोक निर्माण कार्य, उप मुख्य शीर्ष-01-कार्यालय भवन, लघु शीर्ष-053-रख-रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष-0035-समाज कल्याण विभाग के कार्यालय भवन का जीर्णोद्धार से संबंधित विषय शीर्ष-2702 अनुरक्षण एवं मरम्मत के अधीन मांग संख्या-03, विपत्र कोड- 03-2059010530035 के अन्तर्गत उपलब्ध बजटीय उपबंध से विकलनीय होगा।

4. स्वीकृत राशि का आवंटन सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल को प्रदान करेंगे।

5. भवन की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड, गुणवत्ता एवं समय-सीमा के अंदर कार्य पूर्ण किया जायेगा।

6. उपर्युक्त वर्णित प्राक्कलन के अनुसार सभी कार्यों को किया जायेगा एवं उच्च गुणवत्ता मानकों वाले सामग्रियों का उपयोग किया जायेगा। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी भवन निर्माण विभाग की होगी।

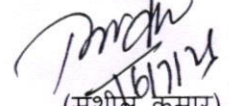
7. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सिवान इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561 दिनांक- 17.04.1998, 2398 दिनांक- 08.04.2008, 12888 दिनांक-03.12.2024, पत्रांक-227/वि0 दिनांक- 28.03.2025 तथा बिहार पी०डब्ल्यू०डी० संहिता के प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर संचिका सं०-10/पर्य०गृ०-01/2023 के टिप्पणी पृष्ठ 35/टि० पर दिनांक- 14.07.2026 को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

  
(सुनील कुमार)

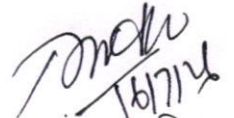
संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- 10/पर्य०गृ०-01/2023/..... 64

पटना, दिनांक ...16/7/2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, वित्त विभाग/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय / संयुक्त सचिव, योजना एवं बजट शाखा, समाज कल्याण विभाग/ प्रशाखा पदाधिकारी, (योजन एवं बजट शाखा), समाज कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, सिवान/ कोषागार पदाधिकारी, सिवान /अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, छपरा/ कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सिवान/ सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

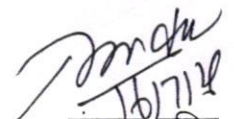
  
संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- 10/पर्य०गृ०-01/2023/..... 64

पटना, दिनांक ...16/7/2026

प्रतिलिपि:- विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।